न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
राजस्व वाद संख्या : 2700/2016(57/2001)
GCMS NO. : **2016/00529**

–: प्रार्थी :–

1. मूर्ति भगवान चारभुजा(ना.बा.) जरिये पुजारी/महन्त श्री प्रहलाददास चैला जुगतीराम जी ग्राम सेवरिया तहसील– जैतारण जिला– पाली, राजस्थान।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1.भंवरू पुत्र भागु के का0मु0
  01/1. देभाल पुत्र भंवरू
  01/2. देवाराम पुत्र भंवरू
  01/3. रामकरण पुत्र भंवरू
  01/4. सतु पुत्र भंवरू
  01/5. सुगरी बेवा भंवरू
2.हरदेव पुत्र भागु के का0मु0
  02/1. नौरत पुत्र हरदेव
  02/2. प्रहलाद पुत्र हरदेव
  02/3. पांचु पुत्र हरदेव
  02/4. छोटु पुत्र हरदेव
3.रामसुख पुत्र भागु
4. हरदेव पुत्र भागु
5. किशना पुत्र भागु
6. मांगु पुत्र भागु
7. हेमा पुत्र हीरा
8. अबा पुत्र हीरा
9. रामा पुत्र हीरा के का0मु0
  09/1. शान्ति पत्नी रामा
  09/2. लक्ष्मण पुत्र रामा
  09/3. कालूराम पुत्र रामा
  09/4. नाथुराम पुत्र रामा
  09/5. नानुराम पुत्र रामा
  09/6. अर्जुन पुत्र रामा
  09/7. सुआ पुत्री रामा
  09/8. अला पुत्री रामा
10. मेवा पुत्री धन्ना
11. रामदेव पुत्र धन्ना
12. जीवणी पत्नी धन्ना फौत के का.मु. पहले से ही रेकर्ड पर है।
13. भागु पुत्र नाथा के का.मु.
  13.1 हरदेव पुत्र भागु
  13.2 रामसुख पुत्र भागु
  13.3 भंवरू पुत्र भागु
14. छोगा पुत्र नाथा के का.मु.
  14.1 हरजी पुत्र छोगा
  14.2 किशना पुत्र छोगा
  14.3 मांगु पुत्र छोगा
  14.4 नारायण पुत्र छोगा

जातियान गुर्जर निवासीगण हेमड़ाई(सेवरिया) तहसील जैतारण जिला पाली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

नस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा एवं रिसीवर नियुक्त करने बाबत् अन्तर्गत धारा 12(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एवं आदेश 40 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया हेता

तारीख रजू:-31.05.2001 पुनः दर्ज- 22.11.2016

उपस्थितः-

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री देवाराम कटारिया, महेन्द्र कुमार गुर्रा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः-30/08/2022

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि ग्राम सेवरिया तहसील जैतारण जिला पाली में मूर्ति भगवान की ठाकुर जी चारभुजा जी का मंदिर वाके है जिसमें ठाकुरं जी श्री चारभुजा जी महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठापित है जो मूर्ति भगवान श्री ठाकुर जी चारभुजा जी एक ज्युरिस्टिक परसन वैधानिक व्यक्ति है एवं शाश्वत नाबालिग है जिनकी सेवा पूजा, भोग, आरती यज्ञ व हवन आदि की व्यवस्था पुजारी महन्त श्री प्रहलाददास चेला महन्त श्री जुगतीराम जी करते हैं व उन से पूर्व महन्त श्री जुगतीराम जी चेला श्री अमरदास जी महाराज करते थे। मूर्ति भगवान जी ठाकुर जी चारभुजा जी की खातेदार एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम गुड़ा हेमड़ाई तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 1648 रकबा 16-17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1649 रकबा 13-06 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1650 रकबा 06-17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1651 रकबा 03-17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1653 रकबा 01-09 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 1654 रकबा 00-19 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 1655 रकबा 02-03 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 1656 रकबा 02-03 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 1652 रकबा 00-11 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल खसरा संख्या 9 कुल रकबा 48-03 बीघा है। यह भूमि बेरा व जाव सरहद मौजा गुडा हेमडाई तहसील जैतारण जिला पाली में वाके है जो भूमि मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभुजा जी वाके देह मंदिर सेवरिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है उक्त भूमि के एक मात्र खातेदार काश्तकार मूर्ति श्री भगवान चारभूजा जी है व भगवान की इस भूमि में अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है तथा इस भूमि के खातेदार काश्तकार मूर्ति भगवान श्री ठाकुर जी चारभुजाजी है, ऐसी घोषणा करवाने के प्रार्थी वादी अधिकारी है, इसलिए घोषणा का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के पेश है। जमाबंदी नकल साथ पेश की जा रही है। प्रार्थी मूर्ति भगवान श्री ठाकुरजी चारभुजा की कृषि भूमि खसरा संख्या 1699/6 रकबा 37-13 बीघा किस्म बारानी प्रथम सरहद मौजा गुड़ा हेमड़ाई में वाके है। जिसके खातेदार काश्तकार मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभुजाजी है, जिसमें भी अप्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नही है तथा ऐसी घोषणा क[illegible] प्रार्थी अधिकारी है इसलिए वाद बाबत् घोषणा का विरुद्ध अप्रार्थी[illegible] ठाकुरजी चारभुजाजी की कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र के प[illegible] में वर्णित की गयी है, जिसे इसमें आगे जमीन मुतदाविया के नाम से निर्देशित [illegible]ा जावेगा, को तत्कालीन पुजारी व महन्त श्री जुगतीराम जी चेला अमरदासजी ने अप्रार्थी मंगला, भागू, छोगा, हीरा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible] जिला पाली

ना गुर्जर निवासीगण गुड़ा हेमड़ाई को मंदिर की ओर से हिस्से व काश्त पर काश्त ने के लिए दी थी व प्रति वर्ष अप्रार्थीगण मूर्ति भगवान श्री ठाकूरजी चारभूजा को भूमि से पैदा हुई फसल का हिस्सा व रकम ठाकुर जी चारभूजा के भोग, दीप, वा पूजा के लिए देते रहे है और इस दौरान राजस्व रिकॉर्ड में गलती से मूर्ति श्री कुरजी चारभुजा की जमीन का इन्द्राज अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजो के नाम का हो या। इस गलत इन्द्राज के आधार पर भगवान मूर्ती श्री ठाकूरजी चारभूजा की ब्रातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार का कोई अधिकार अप्रार्थीगण को प्राप्त नही होता है व मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से उनकी जमीन में अप्रार्थीगण को खातेदारी के अधिकार प्राप्त होने का तो प्रश्न ही नही पैदा नही होता है व अप्रार्थीगण का गलती से जमाबंदी खतौनी में काश्तकार के रूप में जो नाम दर्ज किया गया है वह एक गलत इन्द्राज है व यह जमीन शुरू से मूर्ति श्री ठाकूरजी चारभुजा की खुदकाश्त की जमीन रही है व इसके एकमात्र खातेदार काश्तकार भगवान ठाकुर जी चारभुजा जी ही है यह जमीन अप्रार्थीगण के नाम गलत रूप से इन्द्राज हुई है, जिसे हटवाया जाकर भगवान श्री ठाकुरजी चारभुजाजी के नाम दर्ज करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। इसलिए दावा घोषणा का विरूद्ध अप्रार्थीगण को पेश है। अप्रार्थीगण की अब नियत खराब हो गयी है, अप्रार्थीगण से प्रार्थी के वर्तमान पुजारी व महन्त श्री प्रहलाददास ने इस वर्ष रबी की फसल आने पर दिनांक 29.04.2001 को मूर्ति भगवान श्री ठाकुरजी चारभुजाजी के हिस्से व पैदावार की मांग की तब सर्वप्रथम अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उस रोज मूर्ति श्री ठाकूरजी चारभूजा जी महाराज की जमीन की पैदावार व उनका हिस्सा देने से मना कर दिया व ऐलानिया कहा कि यह जमीन हमारे यानि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चूकी है व अब इसमे मूर्ति भगवान श्री ठाकूरजी महाराज श्री चारभुजाजी का कोई लेना देना नही है व इस प्रकार सर्वप्रथम मूर्ति श्री ठाकूजी चारभूजाजी के खातेदारी अधिकारो से मना कर स्वयं को इसका खातेदार काश्तकार होना अप्रार्थीगण ने जाहिर किया व प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को इस जमीन का कब्जा तुरन्त छोड़ प्रार्थी को पुजारी व महन्त के रूप में कब्जा उक्त भूमि का सुपुर्द करने का कहने पर भी अप्रार्थीगण ने इससे स्पष्ट मना कर दिया और दिनांक 29.04.2001 इस भूमि मुतदाविया पर बतौर अतिक्रूमी के काबिज है व उनका उक्त भूमि मुतदाविया पर कोई हक व अधिकारा नही है तथा प्रार्थी को अप्रार्थीगण को भूमि मूतदाविया से बेदखल करवा कर उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए दावा बेदखली व कब्जा मीन विरूद्धअप्रार्थीगण को पेश है। प्रार्थी अप्रार्थीगण को इस जमीन से बेदखल करवा कर कब्जा प्राप्त करने के बाद उसमें काश्त करे व करावे व इससे संबंधित तमाम कार्य करे उसमें अप्रार्थीगण स्वयं उनके हाली एजेन्ट आदि को किसी प्रकार की दखल [illegible] करने का अधिकार नही है व यदि अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा किया गया [illegible] होगी, जिसकी क्षति पूर्ति नही हो सकेगी। इसलिए प्रार्थी [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए दावा स्थायी निषेधाज्ञा का [illegible]रूद्ध अप्रार्थीगण के पेश है। राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी के दस्तावेज व शपथ पत्र से प्रार्थी के पक्ष में मजबूत प्रथम दृष्टया मामला साबित है तथा प्रार्थी की जमीन पर वाद के अन्तिम निर्णय तक रिसिवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible], जिला पाली

ुक्त नही किया गया तो प्रार्थी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी ार से नही हो सकेगी। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को रिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 1/2 से 1/5, 2/1 से 2/5, 9/1 से 09/8 तथा 10 से 14को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन ूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थीगण संख्या 1/1 तथा 3 से 8की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो ामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 4/1 को अनेकानेक अवसर देने के बावजूद जवाब ार्थना पत्र पेश नही करने से जवाब प्रार्थना पत्र अवसर बंद किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 03 से 08ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। गैरसायलान को इस बात का पता चला नही है कि ग्राम सेवरिया स्थित चारभूजा मंदिर की सेवा पूजा कौन करता है। ठाकूरजी चारभुजा मंदिर की पूजा अर्चना व व्यवस्था करके तथाकथित महन्त जुगतीराम या सायल प्रहलाददास को गैरसायलान कने कभी नही देखा। न यह लोग कभी सेवरिया में आये न रहे न सेवा पूजा की। ग्राम सेवरिया में काम से आते है। तब ठाकुरजी चारभूजा मंदिर में दर्शन के लिए जाते है। यह मंदिर गैरसायलान के गांव गुड़ा हेमड़ाई से करीबन 10 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 का जवाब है कि इस पद में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार करते है। प्रार्थना पत्र के इस पद में वर्णित कृषि भूमि का ग्राम गुड़ा हेमड़ाई में अवश्य स्थित है परन्तु इन खसरा नम्बरान की जमीन जाव व बेरा मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभुजा के मंदिर की खातेदारी व कब्जेकाश्त की कभी नही रही। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर राजा रजवाड़ो के समय से गैरसायलान और उनके पूर्वजो का ही कब्जा काश्त रहा है। तथा कदीमी कब्जा काश्त के आधार पर गैरसायलान के नामो की प्रविष्टी राजस्व रेकर्ड में भू-प्रबन्धन व समय समय पर होती रही है। पर्चा लगान व जमाबंदी में भू धारक का नाम डोली बनाम मंदिर श्री चारभुजा जी के नाम की प्रविष्टि महज एक रोंग एन्ट्री मात्र है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर सायल या मंदिर का कभी कोई कब्जा नही रहा। मूर्ति भगवान श्री ठाकुरजी चारभुजा के नाम की खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में घोषणा के जरिए प्रविष्टि कराने का सायल या राजस्थान सरकार को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। बल्कि गैरसायलान खातेदार काश्तकार होने से उन्हे मूर्ति श्री ठाकूजी चारभूजाजी के भू धारक की प्रविष्टि रोंग एन्ट्री होने से गैरसायलान को उक्त प्रविष्टि हटवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। सायल ने घोषणा का प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है जो खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 का जवाब है कि इस पद में वर्णित [illegible] तथ्य गलत बेबूनियाद होने से गैरसायलान अस्वीकार करते है। [illegible] संख्या 1699/6 रकबा 37-13 बीघा जो गुड़ा हेमड़ाई में स्थित है [illegible] एकमात्र खातेदार काश्तकार गैरसायलान ही है। तथा उन्ही का लगातार क[illegible] व काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभूजा की न तो रही न ही है। भू धारक के रूप में रोंग एंट्री होने से सायल या राज्य सरकार को कोई हक अधिकार नही प्राप्त होते न वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

घोषणा करवाने के अधिकारी है। बल्कि गैरसायलान उक्त रोंग एंट्री को राजस्व [illegible] से हटवाने के कानूनन अधिकारी है। प्रार्थना पत्र घोषणा का गलत पेश किया [illegible] है जो चलने योग्य नही होने से खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पद [illegible]ख्या 4 का जवाब है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्यादो व तीन में वर्णित वादग्रस्त [illegible]राजी गैरसायलान के खर्च के खातेदारी कब्जा काश्त की चली आ रही है। उक्त भूमि [illegible]थाकथित तत्कालीन पुजारी व महन्त जुगतीरामजी ने गैरसायल भागु, छोगा, हिरा, [illegible]न्ना, मंगला गुर्जर को कभी भी मंदिर की ओर से हिस्से पर काश्त करने के लिए [illegible]ही दी न ऐसी कोई लिखा पढी कभी भी की गई। गैरसायलान ने ठाकुरजी चारभूजा [illegible]ंदिर के भोग, दीप, सेवा पूजा के लिए कभी भी प्रति वर्ष पैदा फसल का कोई हिस्सा तथाकथित महन्त या मंदिर को दिया। वादग्रसत आराजी गैरसायलान के स्वयं की खातेदारी के होने से पैदा फसल की हिस्सेदारी देने का प्रश्न ही नही उठता। वादी का यह कथन बिल्कूल ही गलत है कि मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभुजा का इन्द्राज गैरसायलान व उनके पूर्वजो के नाम से हो गया। वास्तविक तथ्य यह है कि मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभुजा के नाम की गलत प्रविष्टि जमाबंदी में भू धारक के रूप में गलत पर्चा लगान के आधार पर त्रुटि या भूलवश हो गई गैरसायलान को वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त का कानूनी अधिकार प्राप्त है। मंदिर के नाम की प्रविष्टि इसलिए भी गलत इन्द्राज साबित हो जाता है क्योकि यह मंदिर गैरसायलान की आराजी से 3 किमी. दूर सेवरिया में स्थित है मंदिर की डोली की जमीन जहां मंदिर स्थित होता है उसी गांव की सरहद में होती है। अन्य जगह नही इसलिए सायल को गलत इन्द्राज बताकर और वादग्रस्त भूमि ठाकूर जी चारभूजा की खुदकाश्त की बताकर गैरसायलान जो वास्तविक खातेदार काश्तकार है उनके नाम की प्रविष्टि राजस्व रेकर्ड से हटवाने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। उल्टे मुर्ति श्री ठाकूरजी चारभूजा के नाम की भू धारक की प्रविष्टि राजस्व रेकर्ड से हटवाने का गैरसायलान को अधिकार प्राप्त है। सायल ने गैरसायलान के विरुद्ध घोषणा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नही होने से खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 का जवाब है कि गैरसायलान ने या उनके पूर्वजो ने तथाकथित महन्त जुगतीराम जी व सायल महन्त प्रहलाददास को अपने सम्पूर्ण जीवन में सशरीर न तो देखा है न मिले है। न किसी मंदिर में उन्हे पूजा करते देखा है। सायल प्रहलाद दास को गैरसायलान नही पहचानते है न सायल प्रहलाददास गैरसायलान को जानता है। सायल न तो कभी सेवरिया या गुड़ा हेमड़ाई आया न उसे यह ज्ञान है कि गैरसायलान की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि गुड़ा हेमड़ाई में कहां पर स्थित है तो दिनांक 29.04.2001 को रबी की फसल आने पर ठाकुरजी चारभूजा के हिस्से की पैदावार गैरसायलान से मांगने का प्रश्न नही उठता। गैरसायलान द्वारा हिस्सा दे[illegible] इंकार करने का भी प्रश्न ही नही उठता। क्योकि सायल या [illegible] कृषि भूमि में ठाकुर जी चारभुजा के खातेदारी अधिकार रहे ही नही [illegible] गैरसायलान के नाम राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि का सही इन्द्राज होने से उनके [illegible] भूमि का कब्जा छोड़कर सायल को सुपुर्द करने का प्रश्न ही नही होता, गैरसायलान व उनके पूर्वज वास्तविक खातेदार काश्तकार के रूप में कृषि भूमि पर काबिज है। उनको अतिक्रमी कहना बिल्कूल ही

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन [illegible] कलक्टर,
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:40 IST
Reason: SelfAttested

ायज है। उक्त भूमि पर गैरसायलान का ही हक व अधिकार है सायल को ायलान को उनकी भूमि से बेदखल करवाकर कब्जा लेने का और उनके विरुद्ध ख़ली व कब्जा लेने जमीन का प्रार्थना पत्र पेश करना सायल को कोई हक व नूनी अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थना पत्र गलत पेश किया गया है जो कानूनी चलने ग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। काल्पनिक विकाय प्रार्थना पत्र के लिये यल ने प्रार्थना पत्र के इस पद में दावा करने की बदयान्ति से तथ्य रचे है। प्रार्थना त्र के पद संख्या 06 का जवाब है कि सायल गैरसायल को उनकी कृषि भूमि से दखल करवाकर प्राप्त करने का काश्त करने, कराने व संबंधित तमाम कार्य करने का ोई हक नही है। गैरसायलान वास्तविक खातेदार काश्तकार होने से गैरसायलान को यह अधिकार प्राप्त नही है कि वे किसी भी व्यक्ति को अपनी जमीन में जबरन प्रवेश करने से रोके सायल को तो नही परन्तु बेदखली की स्थिति में गैरसायलान को अवश्य असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नही हो सकेगी। गैरसायलान को रोजी रोटी व जीवन यापन का जरिया वादग्रस्त आराजी ही है। इसलिए जबरन बेदखली से उनके भूखे मरने की नौबत आयेगी। वादी किसी भी प्रकार से गैरसायलान के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र गलत किया गया है। जो चलने योग्य नही होने से खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 7 का जवाब है कि केवल राजस्व रेकर्ड में गलत पर्चा लगान के आधार पर जमाबंदी में भू धारक के रूप में सायल के मंदिर के नाम की रोंग एंट्री होने से ही सायल का मजबूत प्रथम दृष्ट्या मामला साबित नही हो जाता, गैरसायलान पूर्वजो से समय से वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार कदीमी काबिज होकर आज दिन तक मौके पर काबिज है। सायल के पक्ष में सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी साबित नही है। बल्कि गैरसायलान की रोजी रोटी व जीवन यापन का एकमात्र आधार वादग्रस्त कृषि भूमि ही है। मूल वाद के निर्णय तक भूमि का कब्जा रीसिवर को दिया जाता है तो गैरसायलान व उनके परिजन को भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। तथा उन्हे असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही होगी। सुविधा का संतुलन भी गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थना पत्र गलत पेश किया गया है जो खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमं, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- वादग्रस्त आराजी सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा, बेदखली एवं ... अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा एवं रिसीवर नियुक्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 40 नियम 01 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम गुड़ा हेमड़ाई तहसील जैतारण में स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:11:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
...-पाली

रा नम्बर 1648 रकबा 16-17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1649 बा 13-06 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1650 रकबा 06-17 बीघा म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1651 रकबा 03-17 बीघा किस्म चाही प्रथम, सरा नम्बर 1653 रकबा 01-09 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 1654 कबा 00-19 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 1655 रकबा 02-03 बीघा स्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 1656 रकबा 02-03 बीघा किस्म चाही प्रथम, सरा संख्या 1652 रकबा 00-11 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल खसरा संख्या 9 ल रकबा 48-03 बीघा तथा खसरा संख्या 1699/6 रकबा 37-13 बीघा किस्म रानी प्रथम भूमि बेरा व जाव मूर्ति भगवान श्री ठाकुर जी चारभुजा जी की खातेदारी वं कब्जे काश्त की भूमि है। मूर्ति भगवान श्री ठाकुरजी चारभुजाजी का मंदिर एवं मूर्ति हसील जैतारण के ग्राम सेवरिया में स्थित एवं प्रतिस्थापित है जो शाश्वत नाबालिग है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि में कोई अधिकार निहित नही है। तत्कालीन पुजारी व महन्त श्री जुगतीरामजी चैला अमरदासजी ने अप्रार्थी मंगला, भागु, छोगा, हीरा व धन्ना गुर्जर निवासी गुड़ा हेमड़ाई को उक्त भूमि मंदिर की ओर से हिस्से व काश्त पर दी थी, जिसका प्रतिवर्ष हिस्सा व रकम ठाकुरजी चारभुजाजी के भोगदीप सेवा के लिए देते रहे है। इस दौरान राजस्व रेकर्ड में गलती से मूर्ति श्री ठाकूरजी चारभुजाजी की जमीन का अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजो के नाम इन्द्राज हो गया। जिसकी दुरुस्ती, खातेदारी अधिकारो की घोषणा व अप्रार्थीगण की बेदखली करवाने का प्रार्थी पूर्ण रूप से अधिकारी है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज है तथा भूमि अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर उक्त आराजी का रहन बैचान हस्तान्तरण आदि किये जाने की प्रबल आशंका है। तथा मौके पर भूमि को खुर्द बुर्द किए जाने की संभावना है जिन्हे रूकवाने का प्रार्थी अधिकारी है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित है।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि ग्राम सेवरिया स्थित ठाकुरजी चारभुजाजी मन्दिर ग्राम गुड़ा हेमड़ाई से करीबन 10 किलोमीटर दूर है। प्रार्थी या तथाकथित महन्त जुगतीराम को उक्त मंदिर की सेवा अर्चना करते हमने कभी नही देखा। वादग्रस्त आराजी कभी भी मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभुजाजी के खातेदारी व कब्जेकाश्त की नही रही। वादग्रस्त आराजी राजा रजवाड़ो के समय से अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजो के कब्जे काश्त में रही है तथा भू अभिलेख में कोई रोंग एन्ट्री नही है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित नही होता है।

वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1648 से 1656 तक के भू अभिलेख जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 ग्राम गुड़ा हेमड़ाई के अनुसार वादग्रस्त आराजी के भू धारक के रूप में डोली बनाम मन्दिर श्री चारभुजाजी तथा कॉलम संख्या 04 में काश्तकार के रूप में भंवरू वल्द भागु एवं अन्य अप्रार्थीगण [illegible] के पूर्वजो के नाम दर्ज है तथा खसरा संख्या 1699/6 के भू अभिलेख में [illegible] के रूप में डोली बनाम मन्दिर श्री चारभुजाजी तथा कॉलम संख्या 04 में काश्तकार के रूप में भागू छोगा पि. नाथा कौम गुजर के नाम दर्ज है वहीं वर्तमान जमाबंदी संवत् 2077 में डोली बनाम मन्दिर श्री चारभुजाजी वाके देह के साथ भंवरू पुत्र भागु, नौरत प्रहलाद पांचू छोटू पि. हरदेव, श्रवणी पि. हरदेव, रूगनाथ काना गोपाल पि. रामसुख, होनी पत्नी रामसुख हरदेव पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible], जिला-पाली

ा, हरलाल नाथूराम पि. किशनाराम, मांगू पि. छोगा, सुवादेवी पत्नी हेमाराम, रतनी पि. राम, रामा पि. हीरा, अम्बा पि. हीरा, रामदेव पि. धन्ना, मेवा पि. धना, जीवणी पत्नी ा कौम गुजर सा. देह काश्तकार हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज है। साथ ही खसरा संख्या 99/6 की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2077 में डोली बनाम मन्दिर श्री ठाकुरजी महाराज एतमाम भागू छोगा पि. नाथा कौम गुजर सा. देह काश्तकार हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज

इस प्रकार स्पष्ट है कि भू प्रबन्ध पश्चात से डोली बनाम मन्दिर श्री चारभुजाजी दग्रस्त आराजी के भू धारक दर्ज रहे है लेकिन वादग्रस्त आराजी डोली बनाम मन्दिर श्री रभुजाजी की खुद काश्त आराजी नही रही है बल्कि अप्रार्थीगण के पूर्वज उक्त आराजी ाश्तकार के रूप में दर्ज रहे है। अतः कौन सी प्रविष्ठियां विधिसंगत है एवं कौनसी टिपूर्ण है? साथ ही वादी वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने एवं प्रार्थीगण को बेदखल करवाने के अधिकारी है या नही, यह वादपत्र के विस्तृत साक्ष्य का वेषय है। चूंकि अप्रार्थीगण या इनके पूर्वज वादग्रस्त आराजी पर भू प्रबन्ध से ही बतौर काश्तकार दर्ज रहे है अतः वादग्रस्त आराजी को रिसीवर किए जाने के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। बल्कि भू अभिलेखीय प्रविष्टियों के आधार पर किसी प्रकार का अन्तरण आदि होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है, जबकि वादी द्वारा भू अभिलेखीय प्रविष्ठियो को चुनौती दी है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होने से यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

*(02) सुविधा का संतुलन :–*चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुआ हैं, साथ ही क्योकि प्रार्थी मन्दिर श्री चारभुजाजी जो कि शाश्वत नाबालिग है की ओर से शाश्वत नाबालिग के हितो के संरक्षण हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है तथा प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी की भू अभिलेखीय प्रविष्ठियो को चुनौती दी है, भू प्रबन्ध से डोली बनाम मन्दिर श्री चारभुजाजी बतौर भू धारक भू अभिलेख में दर्ज है। मन्दिर मुर्ति शाश्वत नाबालिग माने जाते है तथा शाश्वत नाबालिग की सम्पति पर कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग शाश्वत नाबालिग द्वारा किया जाना ही माना जाता है। लिहाजा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(03) अपूर्णीय क्षति :– चुंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुआ हैं, साथ ही प्रार्थी शाश्वत नाबालिग द्वारा वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती की मांग करते हुए वर्तमान भू अभिलेखीय प्रविष्ठियो को त्रुटिपूर्ण मानकर इन्हे चुनौती दी है। अतः वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर गुणावगुण के आधार पर कोई टिप्पणी किए बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अप्रार्थीगण द्वारा भू अभिलेखीय प्रविष्ठियो के आधार पर यदि वादग्रस्त आराजी का अन्तरण आदि कर दिया जाता है जिसकी की पूर्ण संभावना है तो न केवल वादपत्र में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी बल्कि यदि वादपत्र वादी के पक्ष में डिक्री होता है तो ऐसी स्थिति में अन्तरण आदि संक्रियाओ से वादी को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल आंशका है। अतः यह बिन्दू बखूबी साबित होने से प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि भू प्रबन्ध से प्रार्थी डोली बनाम मन्दिर श्री चारभुजाजी वादग्रस्त आराजी के भू धारक के रूप में एवं अप्रार्थीगण एवं इनके पूर्वज काश्तकार के रूप में दर्ज रहे है अतः वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible]

राजी को इस स्तर पर कुर्क किया जाकर रिसीवर नियुक्त करना विधिसंगत एवं उचित होगा, अलबता अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी का रहन, बैचान, हस्तान्तरण नही करने व वर्तमान भू अभिलेख में परिवर्तन नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 40 नियम 01 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा एवं रिसीवर नियुक्त करने बाबत् आंशिक रूप से साबित हौनें एवं सारवान होनें से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी को कुर्क किया जाकर रिसीवर नियुक्त किए जाने की प्रार्थी की प्रार्थना नासाबित होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मोजा गुड़ा हेमड़ाई पटवार हल्का सेवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील– जैतारण जिला– पाली (राजस्थान) में स्थित खसरा नम्बर 1648 रकबा 16–17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1649 रकबा 13–06 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1650 रकबा 06–17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1651 रकबा 03–17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1653 रकबा 01–09 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 1654 रकबा 00–19 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 1655 रकबा 02–03 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 1656 रकबा 02–03 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 1652 रकबा 00–11 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल खसरा संख्या 9 कुल रकबा 48–03 बीघा तथा खसरा संख्या 1699/6 रकबा 37–13 बीघा किस्म बारानी प्रथम के वर्तमान भू अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही करे, रहन, बैचान हस्तान्तरण आदि नही करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/08/2022 को सर–ए[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)